भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3510
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

आईआईटी में आत्महत्याएँ

†3510. **श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**
श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छह वर्षों के दौरान विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में छात्रों, शोधार्थियों और कर्मचारियों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या का वर्ष-वार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान आत्महत्या करने वालों की आयु, लिंग, जाति, धर्म, राज्य, आत्महत्या की तारीख, घटना का स्थान, जांच की स्थिति आदि का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) छात्रों द्वारा आत्महत्या से जुड़े कारकों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या यह सच है कि संस्थानों को निवारक तंत्र को सुदृढ़ करने की तत्काल आवश्यकता है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): देश में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित डेटा का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वार्षिक रूप से भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्र द्वारा आत्महत्याओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है जो **https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html** पर देखा जा सकता है। आत्महत्या के मामलों का समाधान करने के लिए, सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है। शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण के तहत, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है।

यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्रों के स्वास्थ्य, कल्याण, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 13.04.2023 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने दिनांक 10.07.2023 को उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी प्रसारित की है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ खेल, योग, ध्यान आदि पर बल दिया गया है ताकि कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर किया जा सके।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार्यता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस एकीकृत दृष्टिकोण के तहत, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संकाय के साथ दो पाक्षिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें शीघ्र मध्यवर्तन के लिए छात्र मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। नवंबर, 2024 में आईआईटी हैदराबाद और नवंबर, 2025 में आईआईटी बॉम्बे में वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन आयोजित किए गए थे। आईआईटी मद्रास में दिनांक 12-13 जुलाई 2026 को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और परिसर में कल्याण परितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संस्थागत नेतृत्वकर्ता, संकाय, छात्रों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को एक साथ लाया गया।

संस्थागत स्तर पर, अनेक एचईआई सक्रिय, बहु-स्तरीय मॉडल के माध्यम से रूपरेखा को संचालित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आईआईटी खड़गपुर ने अनुक्रियात्मक देखभाल से निवारक, चौबीसों घंटे सहायता की ओर बढ़ते हुए एक व्यापक सेतु (सहयोग, सहानुभूति, परिवर्तन और उत्थान) रूपरेखा को कार्यान्वित किया है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी रुड़की ने मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

आईआईटी ने अपने परिसरों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केंद्र/कल्याण केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें पूर्णकालिक या आगंतुक पेशेवर परामर्शदाता, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और कुछ मामलों में मनोचिकित्सक कार्यरत हैं। संस्थान अक्सर जागरूकता बढ़ाने, लांछन को कम करने और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य के मामलों के संबंध में शिक्षित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।
